समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला सांख्यिकी कार्यालय)

–: आदेश :–

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्रांक–1825 दिनांक 14.11.2013 एवं पत्रांक 1826 दिनांक 14.11.2013 के आलोक में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के ग्रामीण क्षेत्रो में अध्ययनरत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के अपंजीकृत छात्रों का जन्म पंजीकरण एक अभियान के तौर पर चलाकर दिनांक 3 दिसम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 के बीच सम्पन्न किया जाना है। यह कार्य संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य के सहयोग से इस कार्य हेतु चयनित ASV के माध्यम से सम्पन्न होना है। प्रति पंचायत दो ASV की सेवा ली जानी है। प्राप्त निदेश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड सांख्कियी पर्यवेक्षक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सम्मिलित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। यह टास्क फोर्स अपने–अपने प्रखंडो में इस अभियान का सफल संचालन करायेंगे। प्रखेंडो में निम्नाकित विवरण के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड विकास पदधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे।

प्रखंडो में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण का कार्यक्रम निम्नवत है।

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रशिक्षण आयोजन की तिथि	प्रशिक्षण का समय	प्रशिक्षण केन्द्र	राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर का विवरण जो प्रशिक्षण को सूचारू रूप से कार्यान्वित करेंगे।
1	2	3	4		6
01	मधेपुरा	27.11.2013	10:00 पू0 से 04:00 अप0 तक	मधेपुरा	श्री अरविन्द कुमार सिंह, राज्यस्तरीय, मास्टर ट्रेनर। **मो0 नं0 9934145215**
02	सिहेंश्वर				
03	गम्हरिया	28.11.2013	10:00 पू0 से 04:00 अप0 तक	गम्हरिया	
04	घैलाढ़				
05	शंकरपुर				
06	पुरैनी	29.11.2013	10:00 पू0 से 04:00 अप0 तक	चौसा	
07	चौसा				
08	आलमनगर	30.11.2013	10:00 पू0 से 04:00 अप0	आलमनगर	
09	बिहारीगंज	01.12.2013	10:00 पू0 से 04:00 अप0 तक	बिहारीगंज	
10	ग्वालपाड़ा				
11	उदाकिशुनगंज				
12	मुरलीगंज	02.12.2013	10:00 पू0 से 04:00 अप0 तक	मुरलीगंज	
13	कुमारखंड				

प्रंखड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा, गम्हरिया, चौसा, आलमनगर, बिहारीगंज एवं मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु स्थल चिन्हित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था यथा–माईक, कुर्सी, आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

स्तम्भ–4 में अंकित पदाधिकारीगण/कर्मी , प्रशिक्षार्थियों के लिए एवं अन्य प्रतिभागियों के लिए अल्पहार की व्यवस्था संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे। प्रशिक्षण सामग्री फोल्डर आदि जिला सांख्कियी कार्यालय, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले ASV को 100.00 रूपये की दर से

यात्रा भत्ता देय होगा। इस राशि का भुगतान जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा से अभिश्रव प्राप्त होने पर किया जायेगा।

आदेश के साथ चयनित ASV की सूची संलग्न करते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि चयनित ASV में से प्रति पंचायत दो ASV का चयन बिना मेधाक्रम तोड़े पंचायत के मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय को उनसे संबंध करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पंचायत में 6 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय है, तो दोनो ASV के बीच तीन–तीन विद्यलाय आंवटित किये जायेंगे। यदि किसी पंचायत में 5 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय है, तो एक ASV को दो एवं एक ASV को तीन विद्यालय आंवटित किये जायेंगे। यदि चयनित सूची से कम ASV प्रशिक्षण हेतु आते हैं, तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी बिना मेधा कम तोड़े हुए एक से अधिक पंचायत भी ASV को आवंटित कर सकते हैं। प्रखंड स्थित सभी मध्य विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामित शिक्षकों को प्रशिक्षण में आमंत्रित करने का दायित्व प्रखंड विकास पदाधिकारी का होगा। हर परिस्थिति में ASV एवं प्रखंड के क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाले मध्य विद्यलायों के प्राधानाचार्य/नामित शिक्षक का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

विद्यालय स्तर का कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त संबंधित पंचायत सेवक से जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत करवाना संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व होगा। सभी ASV एवं प्रधानाचार्य अध्ययनरत छात्रों के अभिभावक को अभियान के पूर्व विद्यालय मे बुलाकर सम्पूर्ण अभियान की जानकारी देंगे एवं उनसे जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रपत्र–1 में आवेदन भी प्राप्त करेंगे। चुकि सभी बच्चों का उम्र छः वर्ष से चौदह वर्ष के बीच है। अतः यह पंजीकरण विलंबित पंजीकरण के श्रेणी में आयेगा और इस हेतु ASV द्वारा जो पंजी संधारित की जायेगी, उसी पर संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंजीकरण की अनुमति देंगे। विद्यालय में यदि अपंजीकृत बच्चों के अभिभावक प्रपत्र–1 में आवेदन नहीं दे पाते है, तो संबंधित ASV धर–धर जाकर अभिभावक से प्रपत्र–1 भरवाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा अपने स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से मधेपुरा जिला के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे एवं हर हाल में अभियान को सफल बनायेंगे।

पंचायतवार चयनित ASV को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यालयों से संबंध कर इसकी सूचना दिनांक 02.12.2013 तक जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध करायेंगे।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक (प्रभारी सहित) के माध्यम से संलग्न निदेश के आलोक में चयनित ASV के अंक पत्रों आदि का सत्यापन करायेंगे। कार्य समाप्ति के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि सभी ASV के अंक पत्रों का जाँच कर ली गयी है और यदि किसी ASV के अंक पत्र आदि ONLINE आवेदन से भिन्न पातें हैं, तो उनका **Candidature** को रद्ध कर दिया जायेगा।

प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व अनुलग्नक के रूप में संलग्न पंजीकरण प्रपत्र–2 पर सभी ASV एवं प्रधानाचार्यों का पंजीकरण अनवार्य है। इसका अनुपालन कराना संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व होगा।

जिला स्तर से सभी ASV को NIC के माध्यम से SMS भेजने का दायित्व श्री अजीत कुमार गुप्ता, कम्प्युटर आपरेटर, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा का होगा। वे जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा से सम्पर्क स्थापित कर यह कार्य सम्पादित करेंगे।

सम्पूर्ण अभियान के दौरान मुख्यालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जिसका नम्बर **0612–2916000, 3211705, 3211706** है। किसी भी शंका समाधान हेतु सीधे अभियान नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान यथोचित मात्रा में फोटो ग्राफी आदि भी कराई जाय। आभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु Unicef द्वारा Poster उपलब्ध कराया जाना है। जिसे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला सांख्यिकयी कार्यालय, मधेपुरा से प्राप्त कर अपने प्रखंड में एवं संबंधित विद्यालय में प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।

निदशों का अनुपालन दृढ़ता से किया जाय।

ह0

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 375/जि0सां0, मधेपुरा, दिनांक 25.11.2013.

प्रतिलिपिः– श्री अजीत कुमार गुप्ता, कम्प्युटर ऑपरेटर, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा, श्री अरविन्द कुमार सिंह, राज्य स्तरीर मास्टर ट्रेनर, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। निदेश है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से मधेपुरा जिले के सभी ग्रामीण प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्राधानाचार्यों को प्रशिक्षण में भाग लेने एवं अभियान को सफल संचालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करते हुए निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे एवं कृत कार्य का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 26.11.25013तक जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप निदेशक (सां0), कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक–सह–मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/11/13

जिलाधिकारी
मधेपुरा।